न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(ईजलास पीठासीन अधिकारी बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 23/2014 निर्णय दिनांकः 31.10.2022

1 राकेश पिता सुरेश जी सोनावा आयु अवयसक जरीए संरक्षक माता श्रीमति निर्मला पत्नि सुरेश सोनावा (तेली) निवासी बडीसादडी।
2 कुमारी कुसुम पुत्री सुरेश सोनावा आयु अवयस्क जरीए संरक्षक माता श्रीमति निर्मला पत्नि सुरेश सोनावा तेली निवासी बडीसादडी
3 श्रीमति निर्मला पत्नि सुरेश जी सोनावा तेली आयु वयस्क निवासी बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

प्रार्थीगण

।।बनाम।।

1 स्व. भूरालाल सोनावा तेली आयु वयस्क निवासी बडीसादडी
2 श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब बड़ीसादड़ी

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

।। निर्णय।।

उपस्थिति :– 1 श्री आर. एल. मुणेत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2श्री सुरेश कुमार सोनावा स्वयं विपक्षी नं.1

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आर. टी. एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम बडीसादडी आराजी नं0 489, 490, 491, व 109, 110, 111, 176, 477, 700/2515, 758, 759, 760, 2283, 2453, व आराजी न0. 700 स्थित होकर वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी सुरेश का कमंश 1/4 हिस्सा व 1/2 हिस्सा निहित होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में अप्रार्थी न0 एक के पिता स्वर्गीय भूरालाल के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। भूरालाल की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त आराजीयात हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रावधानों के तहत अप्रार्थी सुरेश को विरासत से प्राप्त हुई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है प्रार्थीगण कमांक 1 व 2 अप्रार्थी सुरेश के पुत्र पुत्री है प्रार्थीया कमांश 3 तथा सुरेश की वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नि है। प्रार्थीया कमांक 1 व 2 अप्रार्थी सुरेश के संसग्र से प्रार्थीया कमांक तीन को उत्पन्न हुए जो की अवयसक है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अप्रार्थी सुरेश की संपति में प्रार्थीगण कमांक 1 व 2 का जन्म से ही वैधानिक रूप से राइट टाइटल व इन्टरेस्ट स्थापित हो चुका है तथा दोनों प्रार्थीगण अप्रार्थी कमांक 1 पिता सुरेश की संम्पति उक्त वर्णित आराजीयात में सुरेश के हिस्से में सुरेश की खातेदारी के साथ में अपने नाम दर्ज करवाने की घोषणा करवाने के वैधानिक रूप से अधिकारी है। चुकि दोनों प्रार्थीगण अवयस्क है तथा प्रार्थीया कमांक 3 श्रीमति निर्मला अवयसक प्रार्थीण की माता होने के कारण्का प्राकृतिक रूप से संरक्षक है। प्रार्थीया कमांक 3 अप्रार्थी सुरेश की वैधानिक विवाहिता पत्नि होने के कारण अप्रार्थी की सम्पति में भरण पोषण का अधिकार रखती है। अप्रार्थी कमाक 1, प्रार्थीगण कमाक 1 व 2 की पुश्तैनी पैत्रक संम्पति को खुर्द–बुर्द करके प्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

संपति से वंचित करने पर आमादा है। अगर अप्रार्थी क्रमांक 1 के द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर दर्ज होने का लाभ उठा कर आराजीयात को खुर्द–बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण क्रमुक 1 व 2 अपनी पुश्तैनी पेत्रक संपति से वंचित हो जायेंगें तथा प्रार्थीया क्रमांक 3 भी भरण पोषण प्राप्त करने से वंचित हो जायेगी जिससे प्रार्थीगण को ऐसी हानि होगी कि उसकी पूर्ति अन्य किसी प्रकार से किया जाना संभव नहीं होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निसेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रथमद्रश्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण क्रमांक 1 व 2 वादग्रसत आराजीयात में अप्रार्थी क्रमांक 1 के हिस्से व खाते की आराजी में जन्म से ही अपना अधिकार रखते है। अप्रार्थीगण के द्वारा आराजी को खूर्द–बुर्द कर देने की स्थिति में प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निशेधांज्ञा से प्रतिबिन्धित कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निशेधाज्ञा से प्रतिबन्धित कराया जावें कि मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी क्रमाक 1 के हिस्से व खाते की आराजी को रहन, बेचान, बक्षीशनामा आदि किसी भी प्रकार से खूर्द–बुर्द न करे न करावें तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखें जाने का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज जारी कर विपक्षीगण को जरीए हुक्मनामा से पाबंद किया गया कि दिनांक 10.07.2014 तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें। विपक्षी न0 एक की और से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह राठौड ने जवाब पेश किया व विपक्षी न0 दो स्वयं उपस्थित जिनके द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करना चाहा श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव अधिवक्ता ने वकालातानामा के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 का पेश किया पुनः प्रार्थना पत्र आदेश एक नियम 10 का विड्रो किए जाने के कोई कार्यवाही नहीं की गई। अप्रार्थी न. 01 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण राकेश व कुमारी कुसूम अवयस्क होकर अप्रार्थी कंमाक एक के पुत्र पुत्री है जिनका भरण पोसण, लालन पालन, पढाई लिखाई ईत्यादि अप्रार्थी कमांक एक के द्वारा ही किया जा रहा है। तथा प्रार्थीया कंमाक 3 निर्मला अप्रार्थी कमांक 1 सुरेश की पत्नि है। अर्थात् कमांक 3 निर्मला अप्रार्थी न0 1 सुरेश शामिल रह कर अपने परिवार का सम्पूर्ण कार्य व्यस्थित रूप से अप्रार्थी सुरेश सम्पन्न कर रहा है। प्रार्थीया न.3 निर्मला किसी अन्य लोगों के सिखावे में आकर अनावश्यक रूप से इस प्रकार के प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है तथा कुद लोग सुरेश की पत्नि को सिखाकर इनके परिवार में फूट डलवा कर नाजायज लाभ प्राप्त करना चाहते है। तथा री सुरेश द्वारा वादग्रस्त आराजीयात एवं अन्य संपति बाबत विभाजन का वादपत्र. भी संबंधित न्यायालय में पेश कर रखा है। जिनका निस्तारण नहीं हुआ है। जब तक अप्रार्थी सुरेश द्वारा संबंधित न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात विभाजन बाबत् वादपत्र का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक इस प्रार्थनापत्र के पेश करने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है।अप्रार्थी सुरेश की प्रार्थीया न0 3 निर्मला विवाहिता पत्नि होने का तथ्य स्वीकार है मगर अप्रार्थी सुरेश उसकी पत्नि निर्मला एवं उसके पुत्र पुत्री का भरण पोषण करता चला आ रहा है और आज भी भरण पोषण करने के अधिकार का कहां प्रश्न उठता है। तथा निर्मला का सुरेश की संपति में कोई हक व अधिकार कानूनी रूप से नहीं होने से वो इस संपति में कोई हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अव्वल तो अप्रार्थी सुरेश अपनी संपति को खुर्द–बुर्द नही कर रहा है न ही अप्रार्थी सुरेश का ऐसा कोई इरादा है। प्रार्थीगण ने सभी तथ्य मनगढनत एवं

उपखण्ड अधिकारी
बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

बेबुनियाद अंकित किये है। प्रार्थीगण का कोई हानि किसी तरह से होने की संभावना नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी को अस्थाई निसेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी नहीं है। यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया तो अप्रार्थी को नुकसान होगा। प्रार्थीगण ने असत्य एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारीत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है। न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी स्वयं जानता है। और अपनी सम्पतित को खुद बुर्द करने का उसका कोई ईरादा नहीं है। इसलिए अप्रार्थी सुरेश को किसी भीतरह से अस्थाई निसेधाज्ञा से पाबंद नहीं कराया जा सकता है। न ही ऐसा कोई अधिकार प्रार्थीगण को है।

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एल मुणेत ने वकालतनामा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत मिसल तलबी व प्रार्थनापत्र बाबत हटाये जाने स्थगन आराजी न 700/2515 रकबा 0.06 का पेश किया गया।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पेश अस्थाई निषेधाज्ञा में उक्त आवेदन में जारी स्थगन में खाता संख्या 104 खसरा न0 700/2515 रकबा 0.06 हेक्टर प्रार्थीगण स्वेच्छा से हटाना चाहते है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त जारी स्थगन से खसरा न0 700/2515 को स्थगन से मुक्त किया जाकर शेष यथावत रखाये जावें। अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित जिनके द्वारा भी उपरोक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता की सुनी गई। बहस पर मनन किया।पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड, जमाबंदी,प्रार्थनापत्र, जवाब इत्यादी का अवलोकन किया। जिससे हम यह पाते है कि प्रकरणग्रस्त आराजीयात संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का कमशः 1/4, 1/2 हिस्सा दर्ज है अप्रार्थी न0 1 के प्रार्थी संख्या 1 व 2 पुत्र पुत्री है विपक्षी न0 3 पत्नि है प्रार्थी राकेश व कुसूम अवयस्क है। जिनका भरण–पोषण विपक्षी न0 1 के द्वारा किया जाना अपने जवाब में कथन किया है। अप्रार्थी के पिता स्वर्गीय भूरालाल की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजीयात अप्राथी न0 1 सुरेश को प्राप्त हुई है। जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जो सह खातेदारी में दज्र रिकार्ड है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन व अपूरणीय का सिद्धांत भी नहीं बनता है। वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनपत्र में विवादीत आराजीयात में से केवल एक आराजी को स्थगन मुक्त किए जाने का पेश किया है इसलिए प्रार्थनापत्र 212 से आंशिक मुक्त नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण अपना प्रार्थनापत्र साबित करने में असफल रहने से कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

प्रार्थनापत्र 212 का खारिज किया जाता है

निर्णय सरे इजलास लिखया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2023.01.03 16:44:24 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दुबाला राजावत)RAS
उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी